बिहार सरकार

विधि विभाग

।। संकल्प ।।

दिनांक-.................

विषयः- **बिहार मंदिर चाहरदिवारी निर्माण निधि योजना, 2015**

राज्य सरकार कल्याणकारी राज्य के दायित्व निर्वहन हेतु राज्य के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने एवं सम्पत्तियों का संरक्षण हेतु सतत प्रयत्नरत है और चूँकि मंदिरों की चल सम्पत्ति की सुरक्षा तथा अचल सम्पत्ति को अतिक्रमण से बचाना एवं बिहार राज्य में स्थित सभी ऐसे मंदिरों की जिनके पास बहुमूल्य मूर्ति, मुकुट, छत्र, आभूषण आदि है और मंदिर से सटी जमीन है उसके लिए पक्की, मजबूत चाहरदिवारी का निर्माण आवश्यक है। इसके लिए राज्य सरकार निम्नलिखित योजना तुरंत के प्रभाव से लागू करती है :-

बिहार मंदिर चाहरदिवारी निर्माण निधि योजना, 2015

''बिहार मंदिर चाहरदिवारी निर्माण निधि योजना, 2015'' के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश निम्नलिखित है:-

(1) अर्हत्ता

(i) मंदिर से अभिप्रेत है देवालय, मठ या कोई भी पूजा-स्थल।

(ii) मंदिर का सार्वजनिक घोषित होना;

(iii) मंदिर का निबंधन बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद में होना

(iv) मंदिर के पास चाहरदिवारी के लिए अपनी जमीन का होना;

(v) मंदिर का निर्माण साठ साल पहले हुआ हो या ऐसे मंदिर हो जिसके निर्माण से बिहार में पर्यटन की संभावना बढ़ती हो या ऐसे मंदिर जहाँ विधि व्यवस्था का प्रश्न उत्पन्न हो गया हो;

(2) स्थल चयन

जिला स्तर पर मंदिरों की चाहरदिवारी निर्माण के लिए उसका चयन जिला स्तरीय दो-सदस्यीय कमिटी द्वारा होगी। प्रत्येक जिला में कमिटी के अध्यक्ष जिला पदाधिकारी होंगे और उसके सदस्य-सचिव आरक्षी अधीक्षक होंगे।

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद द्वारा मंदिर की चाहरदिवारी निर्माण का प्रस्ताव संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी को भेजा जायेगा और जिला पदाधिकारी द्वारा उक्त कमिटी का गठन कर उसके संदर्भ में जाँच कर पन्द्रह दिनों के अंदर मंदिर की चाहरदिवारी का निर्माण कराये जाने या आवश्यक नहीं है, का प्रस्ताव/प्रतिवेदन बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को उपलब्ध कराया जाएगा स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा कि चाहरदिवारी का निर्माण ईट की दिवाल का होगा अथवा कंटीले तार का।

3. निर्माण एर्जेसी

(i) चाहरदिवारी की ऊँचाई 8 फीट से अधिक नहीं होगी जिसका निर्धारण निर्माण एर्जेसी बिहार राज्य भवन निर्माण निगम) द्वारा किया जायेगा;

(ii) मंदिरों की चाहरदिवारी के निर्माण हेतु मंदिरों के नाम एवं जितनी जमीन पर चाहरदिवारी बनानी है उसका ब्यौरा पर्षद निगम (बिहार राज्य भवन निर्माण निगम) के पास भेजेगी;

(iii) निगम उसका प्राक्कलन तैयार कराकर उसका निर्माण विनिश्चत अवधि में पूर्ण करेगा;

(iv) प्राक्कलन की स्वीकृति के बाद, विधि विभाग द्वारा उतनी (स्वीकृत) राशि 15 दिनों में निगम के नाम मुक्त कर दी जायेगी;

(v) विधि विभाग के सचिव, पर्षद के अध्यक्ष एवं निगम के अध्यक्ष द्वारा निर्माण कार्य की गुणवता एवं प्रगति की समीक्षा, समय-समय पर, की जाएगी।

(vi) अनुदान की राशि की प्राप्ति की तिथि से तीन माह के भीतर निर्माण एर्जेसी द्वारा कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा।

4. **निधि की अधिसीमा**

(i) चाहरदिवारी निर्माण के लिए निधि का प्रावधान राज्य योजना मद से होगा।

(ii) चाहरदिवारी निर्माण के लिए राज्य योजना मद में विधि विभाग के द्वारा प्रथम वर्ष के लिए कम-से-कम दस करोड़ निधि का बजट प्रावधान कराया जाना होगा;

(iii) पर्षद् द्वारा जिन मंदिरों के नाम जिलावार संबंधित जिला पदाधिकारी एवं सरकार को सौपे जायेंगे उनकी चाहरदिवारियों का निर्माण ही प्रथम चरण में होगा;

(iv) इस संबंध में सरकार द्वारा समाचार पत्रों एवं मीडिया के अन्य माध्यमों से पर्याप्त प्रचार-प्रसार किया जायेगा, ताकि मंदिरों के न्यासी इसके लिए विनिश्त समय-सीमा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर सकें।

5. मंदिर चाहरदिवारी निर्माण योजना की प्रशासनिक स्वीकृति की वित्तीय शक्ति का अधिसीमा निम्नवत् है:-

<u>प्रशासनिक स्वीकृति हेतु सक्षम पदाधिकारी</u>	<u>प्रशासनिक स्वीकृति हेतु अधिसीमा</u>
i. सचिव-सह-विधि परामर्शी, विधि विभाग, बिहार, पटना।	दो करोड़ से ऊपर
ii. प्रमंडलीय आयुक्त	पचास लाख से ऊपर दो करोड़ रूपये तक
iii. जिला पदाधिकारी	पचास लाख तक

6. **निर्माण में पारदर्शिता**

(i) राशि प्राप्त होने के 6 माह के भीतर पर्षद् द्वारा कार्य सम्पन्न कर राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं कार्य सम्पन्नता प्रतिवेदन, प्राधिकृत व्यक्ति एवं निगम के कार्यपालक अभियंता के भौतिक सत्यापन प्रमाण-पत्र के साथ, सरकार को उपलब्ध कराना होगा। इसकी जाँच निगम, पर्षद् एवं सरकार द्वारा मनोनित टीम द्वारा तीन माह के भीतर पूरी की जायेगी।

(ii) विलंब की दशा में निगम द्वारा लिखित रूप से अपरिहार्य कारणों को पर्षद् एवं सरकार को सूचित करना होगा।

7. **अंकेक्षण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र**

(i) अनुदान की राशि की उपयोगिता प्रमाण-पत्र, कार्य आरंभ की तिथि से 12 माह के भीतर प्राप्त कर निगम द्वारा पर्षद् कार्यालय को भेजना होगा।

(ii) निगम द्वारा अनुदान की राशि का चार्टड एकाउन्टेट से अंकेक्षित प्रतिवेदन सहित उपयोगिता प्रमाण-पत्र सरकार को पर्षद् के माध्यम से उपलब्ध कराना होगा।

8. **अनुशासनिक कार्रवाई**

उपर्युक्त प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर, निर्माण के लिए जिम्मेवार दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध राशि की वसूली तथा वैद्यानिक (दीवानी एवं फौजदारी) कार्यवाही आरंभ की जायेगी। इसके अलावे उनके विरूद्ध अन्य विधि सम्मत कार्रवाई भी की जायेगी।

आदेश:- **आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए।**

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

9/9/15

(उज्ज्वल कुमार दुबे)

सरकार के प्रभारी सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-एल0आर0टी0-01-04/2015...5906.../**जे0, पटना, दिनांक**...09-09-15...,

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग (ई-गजट शाखा) को दो प्रतियों में सी0डी0 सहित बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनाथ एवं इसकी 100 प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

9/9/15

(उज्ज्वल कुमार दुबे)

सरकार के प्रभारी सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-एल0आर0टी0-01-04/2015...5906.../**जे0, पटना, दिनांक**...09-09-15...,

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद्, पटना/अध्यक्ष, बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद्, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

9/9/15

(उज्ज्वल कुमार दुबे)

सरकार के प्रभारी सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-एल0आर0टी0-01-04/2015...5906.../**जे0, पटना, दिनांक**...09-09-15...,

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

9/9/15

(उज्ज्वल कुमार दुबे)

सरकार के प्रभारी सचिव, बिहार।

09/9/15